

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अभिघृति और मूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 118 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 धारा 118 का संशोधन।
का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 118 की उप धारा (2) के खण्ड (ज) के नीचे
द्वितीय परंतुक में, "दो वर्ष" और "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "तीन
वर्ष" और "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

साध्युमाजीत


Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 जो विक्रय, दान, वसीयत, विनिमय, पट्टा, सकब्जा बंधक, अभिधृति सृजन या किसी अन्य रीति में भूमि के अंतरण (जिसके अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय की डिक्री द्वारा या भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए अंतरण है) को किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो कृषक नहीं है निर्बंधित करती है। उक्त धारा की उपधारा (2) कतिपय अंतरण जिसके अंतर्गत राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से भूमि का अंतरण भी है पर छूट प्रदान करती है।

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 की उप धारा (2) के खण्ड (ज) के नीचे द्वितीय परन्तुक गैर-कृषक को जो खण्ड (घघ) के अधीन भूमि का क्रय करता है या जिसे संपूर्ण मामले में खण्ड (ज) के अधीन भूमि के क्रय की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, भूमि को, दो वर्ष की अवधि या एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि, जो राज्य सरकार द्वारा कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अनुज्ञात की जाए जो उस दिन से संगणित की जाएगी जिसको भूमि का विक्रय विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, के भीतर ऐसे उपयोग, जिसके लिए उसको अंतरण किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है, में लाने के लिए आज्ञापक बनाता है। यदि गैर-कृषक ऐसा करने में विफल रहता है या राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना उक्त उपयोग का किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपयोजन करता है या विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा भूमि का अंतरण करता है तो ऐसी भूमि को सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित करने का उपबंध है। यह अनुभव किया गया है कि दो वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं है, विशिष्टतया ऐसे मामलों में जहां भूमि का क्रय औद्योगिक/जल/पर्यटन या आवास परियोजनाओं आदि के लिए किया गया है और इसलिए, पूर्वोक्त परन्तुक के उपबन्धों को उपयुक्ततः संशोधित करना प्रस्तावित है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख :....., 2022

हाथपुता लिखित

Jal Shakti Hort. Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022

हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(महेन्द्र सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

(राजीव भारद्वाज)
प्रधान सचिव (विधि)।

आव्युत्तान्त

शिमला :

तारीख :....., 2022


Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) के उपबन्धों के उद्धरण।

धारा :

118. गैर-कृषकों को भूमि का अन्तरण वर्जित.—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, संविदा, करार, रूढ़ि या रीति में अन्तर्विष्ट किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी, किन्तु इस अध्याय में यथा उपबन्धित के सिवाय भूमि का अन्तरण विक्रय, दान, वसीयत, विनियम, पट्टा या कब्जे सहित बंधक अभिधृति के सृजन या किसी अन्य रीति (भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन के लिए विक्रय सम्मिलित है) द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में वैध होगी जोकि कृषक नहीं है।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए पद “भूमि का अन्तरण” के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

- (i) उत्तराधिकार द्वारा अन्तरण;
- (ii) दानी या वसीयतकर्ता के किसी एक या सभी विधि वारिसों के पक्ष में, यथास्थिति, दान या निष्पादित विल द्वारा अन्तरण;
- (iii) किसी नगरपालिका क्षेत्र में भूमि या इमारत का पट्टे द्वारा अन्तरण;

किन्तु निम्नलिखित इसके अन्तर्गत नहीं है—

- (क) कोई बेनामी संव्यवहार जिसमें भूमि कृषक को गैर-कृषक द्वारा संदत्त या उपलब्ध करवाए गए प्रतिफल के लिए अन्तरित की जाती है; और
- (ख) स्वामी द्वारा किए गए विशेष या साधारण मुख्तयारनामा द्वारा प्राधिकार देकर या करार द्वारा इस आशय से कि एक गैर-कृषक को भूमि का कब्जा देकर और उसे भूमि को उसी प्रकार से प्रयोग करना अनुज्ञात करना मानो वह उस भूमि का वास्तविक स्वामी है;

(2) उप-धारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में भूमि अन्तरण को प्रतिषिद् करने वाली नहीं समझी जाएगी, अर्थात्:-

- (क) किसी भूमिहीन मजदूर; या
 - (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित भूमिहीन व्यक्ति; या
 - (ग) ग्रामीण कारीगर; या
 - (घ) सहबद्ध कृषि कामकाज करने वाले किसी भूमिहीन व्यक्ति; या
 - (घघ) वह व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, किसी नगरपालिका क्षेत्र में, निवास गृह, दुकान या वाणिज्यिक स्थान के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी इन शर्तों के अध्याधीन कार्य किया हो और कार्य करता रहता है को अन्तरित की जाने वाली भूमि निम्नलिखित के अधिक नहीं है—
 - (i) निवास गृह की दशा में 500 वर्ग मीटर; और
 - (ii) दुकान और वाणिज्यिक स्थापना की दशा में 300 वर्ग मीटर क्षेत्र :
- परन्तु ऐसा व्यक्ति राज्य के नगरपालिका में किसी खाली भूमि में निवास गृह का स्वामित्व नहीं रखता है;
- (ङ) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिगृहीत की गई है या कानून द्वारा या उसके अधीन स्थापित कानूनी निकाय या निगम या बोर्ड और राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामीत्वाधीन और उसके नियन्त्रणाधीन; या
 - (च) कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित के कारण गैर कृषक बन गया हो—
 - (i) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए उसकी भूमि का अर्जन; या

(ii) अधिनियम के अधीन अभिधृतियों में उसकी भूमि को निहित किए जाने पर; या

- (छ) कोई गैर कृषक जो गृह या दुकान के निर्माण के लिए भूमि खरीदता है या खरीदने के लिए आशयित है या हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण से तैयार मकान या दुकान खरीदता है, या हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण से या किसी कानूनी निगम जो किसी राज्य या केन्द्रीय अधिनियमिति द्वारा राज्य में गृहवास स्कीम की विरचना और निष्पादन के लिए गठित हो; या
- (ज) राज्य सरकार की अनुमति से कोई गैर कृषक ऐसे प्रयोजन के लिए जो कि विहित किया जाए:

परन्तु इस उप-धारा के खण्ड (ज) के अधीन दी गई अनुमति के साथ कोई व्यक्ति जो कि गैर कृषक है परन्तु खण्ड (घघ) या खण्ड (छ) के अधीन भूमि का क्रय करता है, ऐसी भूमि के क्रय का विचार किए बिना, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गैर कृषक होगा :

परन्तु यह और कि कोई गैर-कृषक जो खण्ड (घघ) के अधीन भूमि का क्रय करता है या जिस मामले में इस उपधारा के खण्ड (ज) के अधीन भूमि के क्रय की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, भूमि को दो वर्ष की अवधि या एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि जो राज्य सरकार द्वारा कारणों के लेखन में अभिलिखित करते हुए अनुज्ञात की जाए, जो उस दिन से संगणित की जाएगी जिस को भूमि का विक्रय विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, के भीतर ऐसी भूमि का उपयोग करेगा जिस के लिए अनुज्ञा दी जाती है और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है या, राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना, उक्त उपभोक्ता दूसरे कार्य में लगता है या विक्रय, दान या अन्यथा अन्तरण करता है, उस द्वारा खरीदी गई भूमि, विहित रीति में, सभी विल्लंगमों से मुक्त राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

(3) से (4) XXX	XXX	XXX	XXX
स्पष्टीकरण (1) XXX	XXX	XXX	XXX
स्पष्टीकरण (2) XXX	XXX	XXX	XXX

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 6 OF 2022

**THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS
(AMENDMENT) BILL, 2022**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS
(AMENDMENT) BILL, 2022**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 118.

**THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND
REFORMS (AMENDMENT) BILL, 2022**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land
Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of 1974).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh
in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Act, 2022. Short title.

5 2. In section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of 1974), in sub-section (2), in second proviso below clause (h), for the words “two years” and “one year” the words “three years” and “two years” shall be substituted respectively. Amendment
of section
118.

Authenticated

**Jai Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 puts restriction on transfer of land (including transfer by a decree of a civil court or for recovery of arrears of land revenue) by way of sale, gift, will, exchange, lease, mortgage with possession, creation of a tenancy or in any other manner in favour of a person who is not an agriculturist. Sub-section (2) of said section provides exemption on certain transfer including transfer of land with prior permission of the State Government.

Second proviso below clause (h) of sub-section (2) of section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 makes it mandatory to a non-agriculturist, who purchases land under clause (dd) or in whose case permission to purchase land is granted under clause (h), to put the land to such use for which it has been permitted to be transferred within a period of two years or a further such period not exceeding one year as may be allowed by the State Government for the reasons to be recorded in writing to be counted from the day on which sale deed of land is registered. In case the non-agriculturist fails to do so or diverts without permission of the State Government the said use for any other purpose or transfers the land by way of sale, gift or otherwise, there is a provision for vestment of such land in favour of the State Government free from all encumbrances. It has been experienced that the period of two years is not sufficient more particularly in cases, where land is purchased for Industrial/Hydel/Tourism or Housing projects etc. and therefore, it is proposed to amend the provisions of the aforesaid proviso suitably. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The , 2022.

Authenticated


Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

**THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS
(AMENDMENT) BILL, 2022**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No.8 of 1974).

(MAHENDER SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

(RAJEEV BHARDWAJ)
Pr. Secretary (Law).

Authenticated


**Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh**

SHIMLA :

The , 2022.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS ACT, 1972 (ACT NO. 8 OF 1974) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section :

118. Transfer of land to non-agriculturists barred.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, contract, agreement, custom or usage for the time being in force, but save as otherwise provided in this Chapter, no transfer of land (including transfer by a decree of a civil court or for recovery of arrears of land revenue) by way of sale, gift, will, exchange, lease, mortgage with possession, creation of a tenancy or in any other manner shall be valid in favour of a person who is not an agriculturist.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression “transfer of land” shall not include—

- (i) transfer by way of inheritance;
- (ii) transfer by way of gift made or will executed, in favour of any or all legal heirs of the donor or the testator, as the case may be;
- (iii) transfer by way of lease of land or building in a municipal area;

but shall include—

- (a) a benami transaction in which land is transferred to an agriculturist for a consideration paid or provided by a non-agriculturist; and
- (b) an authorization made by the owner by way of special or general power of attorney or by an agreement with the intention to put non-agriculturist in possession of the land and allow him to deal with the land in the like manner as if he is a real owner of that land.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to prohibit the transfer of land by any person in favour of,—

- (a) a landless labourer; or
- (b) a landless person belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe; or

- (c) a village artisan; or
- (d) a landless person carrying on an allied agricultural pursuit; or
- (dd) a person who, on commencement of this Act, worked and continues to work for gain in an estate situated in Himachal Pradesh; for the construction of a dwelling house, shop, or commercial establishment in a municipal area, subject to the condition that the land to be transferred does not exceed—
 - (i) in case of dwelling house - 500 square metres; and
 - (ii) in the case of shop or commercial establishment- 300 square metres:

Provided that such person does not own any vacant land or a dwelling house in a municipal area in the State; or

- (e) the State Government or Central Government, or a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956, or a Company incorporated under the Companies Act, 1956 for which land acquired through the State Government under the Land Acquisition Act, 1894, or a statutory body or a corporation or a board established by or under a statute and owned and controlled by the State or Central Government; or
- (f) a person who has become non-agriculturist on account of—
 - (i) acquisition of his land for any public purpose under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894); or
 - (ii) vestment of his land in the tenants under this Act; or
- (g) a non-agriculturist who purchases or intends to purchase land for the construction of a house or shop, or purchases a built up house or shop, from the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, established under the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004, or from the Development Authority constituted under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or from any other statutory corporation set up for framing and execution of house accommodation schemes in the State under any State or Central enactment; or

(h) a non-agriculturist with the permission of the State Government for the purposes that may be prescribed :

Provided that a person who is non-agriculturist but purchases land either under clause (dd) or clause (g) or with the permission granted under clause (h) of this sub-section shall, irrespective of such purchase of land, continue to non-agriculturist for the purposes of this Act :

Provided further that a non-agriculturist who purchases land under clause (dd) or in whose case permission to purchase land is granted under clause (h) of this sub-section shall put the land to such use for which the permission has been granted within a period of two years or a further such period not exceeding one year, as may be allowed by the State Government for reasons to be recorded in writing, to be counted from the day on which the sale deed of land is registered and if he fails to do so or diverts, without the permission of the State Government, the said use for any other purpose or transfer by way of sale, gift or otherwise, the land so purchased by him shall, in the prescribed manner, vest in the State Government free from all encumbrances.

(3) to (4) XXX	XXX	XXX	XXX
<i>Explanation-I.</i> XXX	XXX	XXX	XXX
<i>Explanation-II.</i> XXX	XXX	XXX	XXX